

तारीख  
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

पर पहुँचे है कि न्यायाधीशों के सिद्धांतों में  
पक्षकारों के हकों का निश्चिन्त काल में  
साक्ष्य व सबूतों के पश्चात् एवं गुणापगुण  
के आधार पर हो सकेगा।

ऐसी शुरुआत में अनावश्यक मुकदमाबाजी  
नहीं लगे एवं कानूनी पैदावारों पैदा नहीं हो  
इसको ध्यान में रखते हुए प्राथमिक पत्र प्रेषित  
स्वीकार किया जाता है तथा न्यायालय द्वारा  
द्वारा जारी हुक्म अर्थात् निपेक्षाज्ञा दिनांक  
09.07.2020 को लॉकडाउन मूलवाद पुस्त  
किया जाता है।

पत्रावली फ़ैसल शुमार लेकर नंबर  
से काम हो. बाद तकमील जाया कारिवा  
दफ्तर हो।

उपसखंड अधिकारी  
भुसावर (भरतपुर) राजग

34.

37.